

अपील / 25 / 2020

न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

विनय कुमार पुत्र श्री खेमचंद जाति वैश्य निवासी कस्बा नदबई तहसील नदबई
.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसील नदबई

..... रेस्पों

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 लेण्ड रेवन्यू एक्ट 1956 विरुद्ध आदेश तहसीलदार नदबई दिनांक 9-11-2020 बाबत आराजी खसरा नम्बर 32 बाके ग्राम कांसगज तहसील नदबई। प्रकरण संख्या 32/2020 उनमानी राज0 सरकार बनाम विनय कुमार दौजी आदि अन्तर्गत 90 ए राजस्थान लेण्ड रेवन्यू एक्ट।

उपस्थित :-


- 1-श्री हनुमानप्रसाद गोयल, अभिभाषक अपीलान्ट,
- 2-पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक 14.08.2024

अपीलान्ट ने यह अपील विरुद्ध रेस्पों व खिलाफ आदेश तहसीलदार नदबई दिनांक 9-11-2020 पेश की गई है। अपीलान्ट द्वारा विवादित आराजी खसरा नम्बर 32/0.32 में 0.23 हे० में मूंगफली गोदाम एवं 0.01 हे० में दुकान व शेष 0.08 हे० में आवासीय प्लॉट बिना भूमि रुपान्तरण कराये भूमि को वाणिज्यक उपयोग में लेने के कारण तहसीलदार नदबई ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 90 (ए) के तहत कार्यवाही करते हुये अतिक्रमी अपीलान्ट के निर्माण को अवैध मानते हुये राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 के तहत कार्यवाही हेतु उपखण्ड अधिकारी नदबई के यहाँ प्रार्थना पत्र पेश किये जाने की आज्ञा पारित की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर, रेस्पों एवं पत्रावली तहत तलब की गई। तहसीलदार नदबई से प्राप्त तहत पत्रावली मिसिल नत्थीबद्ध की गई। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।



.....2
जिला कलक्टर
भरतपुर

योग्य अभिभाषक अपीलान्त ने अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि नायव तहसीलदार नदबई का अपीलाधीन आदेश विस्तृत आदेश नहीं है। विवादित आराजी खसरा नम्बर अपीलान्त की खातेदारी का है जिसमें अपीलान्त ने चारदीवारी सुरक्षा के लिये बना रखी है। आराजी खसरा नम्बर 32 पर कोई निर्माण वाणिज्यक गतिविधि नहीं किया है। विवादित आराजी नगर पालिका क्षेत्र में आती है तहसीलदार को धारा 90ए के तहत कार्यवाही करने का कोई अधिकार नहीं है। अपीलान्त को उसके खातेदारी रकवे से बेदखल नहीं किया जा सकता है। योग्य अभिभाषक का यह तर्क है कि विवादित आराजी पर माननीय सिविल न्यायालय को आदेश जारी किया हुआ है। स्थगन आदेश के होते हुये बेदखल की कार्यवाही नहीं की जा सकती है। अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

तहसीलदार नदबई ने अपने कथनों में जाहिर किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 32 पर अपीलान्त ने पक्का निर्माण गोदाम निर्माण कर वाणिज्यक गतिविधि चालू कर रखी हैं। अपीलान्त ने विवादित आराजी का सक्षम अधिकारी से भूमि रुपान्तरण नहीं कराया गया है। ऐसे निर्माण अतिक्रमण की श्रेणी में आते हैं। अपील अपीलान्त खारिज की जावे।

हमने पत्रावलीयों का अध्ययन किया। योग्य अभिभाषक अपीलान्त एवं तहसीलदार नदबई के कथनों पर गौर किया। तहत पत्रावली में उपलब्ध पत्रादि का अध्ययन किया गया, तहत पत्रावली में उपलब्ध पत्रादि रिपोर्ट पटवारी गिदार्वर से स्पष्ट है कि अपीलान्त ने आराजी खसरा नम्बर आराजी खसरा नम्बर 32/0.32 में 0.23 हे0 में मुंगफली गोदाम एवं 0.01 हे0 में दुकान व शेष 0.08 हे0 में आवासीय प्लॉट बनाकर वाणिज्यक गतिविधि कर रखी है। कृषि भूमि को बिना रुपान्तरण कराये वाणिज्यक उपयोग में लेना अपीलान्त का नियमों के विपरीत कृत्य है। तहसीलदार ने नियमों के तहत कार्यवाही करते हुये अपीलाधीन आदेश दिनांक 9.11.2020 पारित किया है।

पत्रावली में उपलब्ध माननीय अपर जिला न्यायाधीश संख्या-01 भरतपुर के आदेश दिनांक 03.10.2023 प्रकरण उनवानी विनय कुमार बनाम राज0सरकार वगे0 दीवानी प्रकरण संख्या 518/2023 का अवलोकन किया गया, माननीय न्यायालय ने अपने आदेश में पारित किया है जो इस प्रकार है -


जिला कलक्टर.....4
भरतपुर

(4)

अपील / 25 / 2020
विनय कुमार बनाम राज.सरकार


".....अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सीपीसी बाबत अस्थाई निपेधाज्ञा स्वीकार कर अप्रार्थीगण को इस आशय की अस्थाई निपेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह ताफैसला मूलवाद प्रार्थी की जायदाद में रंग पीला मार्क ए,बी,सी,डी,ई एफ, जी,एच,आई,जे,के,एल, नक्शा में कोई तोड़फोड़ न करें, रास्ता कायम न करें, प्रार्थी को जायदाद के उपयोग-उपभोग में कोई बाधा उत्पन्न न करें, जवरदरस्ती वेदखल न करें व कार्यवाही भू-राजस्व अधिनियम के तहत प्रार्थी के विरुद्ध आराजी खसरा नम्बर 30 रकवा 3 ऐयर एवं आराजी खसरा नंबर 32 रकवा 32 ऐयर कुल 35 में से 2798 वर्गमीटर बाके कांसगज तहसील नदबई के बाबत न करे.....।"

माननीय अपर जिला न्यायाधीश संख्या-01 भरतपुर के उक्त निर्णय में विवादित आराजी खसरा नम्बर 30 रकवा 3 ऐयर एवं आराजी खसरा नंबर 32 रकवा 32 ऐयर कुल 35 में से 2798 वर्गमीटर बाके कांसगज तहसील नदबई के बाबत स्थगन आदेश है। ऐसी स्थिति में विवादित भूमि को लेकर माननीय अपर जिला न्यायाधीश संख्या-01 भरतपुर में विचाराधीन प्रकरण में निर्णय होने तक तहसीलदार नदबई का अपीलाधीन आदेश स्थगित किया जाना उचित पाते हैं। विवादित आराजी पर माननीय अपर जिला न्यायाधीश संख्या-01 भरतपुर का जो भी निर्णय पारित हो तदनुसार कार्यवाही की जावे।

अतः आदेश है कि :-

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्त आंशिक स्वीकार की जाती है। माननीय अपर जिला न्यायाधीश संख्या-01 भरतपुर में विचाराधीन प्रकरण में निर्णय होने तक तहसीलदार नदबई का अपीलाधीन आदेश दिनांक 9.11.2020 स्थगित किया जाता है। तहसीलदार नदबई को निर्देशित किया जाता है कि वे विवादित आराजी पर माननीय अपर जिला न्यायाधीश संख्या-01 भरतपुर के निर्णय उपरान्त, तदनुसार कार्यवाही करें। निर्णय प्रति के साथ तहत पत्रावली तहसीलदार नदबई को वापिस लोटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 14.8.2024 को लिखाया जाकर सुनाया गया।


(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
भरतपुर